संख्या–पी–50 / 14–2–2016–800(52) / 2016

प्रेषक,

अशोक कुमार
विशेष सचिव
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 01 **मार्च, 2016**

विषयः– बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर मार्ग किमी0 6 की दायीं पटरी पर ग्राम–महगाली के खसरा नं0–524, 527, 528 व 534 में मै0 लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हे0 सरंक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1936 / बिजनौर / 17397 / यूपी–19 / 2016, दिनांक 09–3–2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बिजनौर में बिजनौर–नूरपुर मार्ग किमी0 6 की दायीं पटरी पर ग्राम–महगाली के खसरा नं0–524, 527, 528 व 534 में मै0 लीला फार्म हाउस द्वारा विकसित किये जा रहे बैंकट हाल के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0465 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 02 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव अपने स्तर से परीक्षण करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूंकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैरवानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

2– अतएव प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के तहत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या–पी–50(1)14–2–2016–तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, बिजनौर।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर।
5– डा0 नरेश कुमार वर्मा, लीला फार्म (बैंकट हाल) निकट रूटस इंटरनेशनल स्कूल, नूरपुर रोड, बिजनौर।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।